क्या निगरानी पर भारत का कानून गोपनीयता के लिए खतरा हैं?

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

28 दिसंबर, 2018

पक्ष

लेखक - तथागत सत्पथी (सांसद, बीजू जनता दल)

''भारत जल्द ही नौकरशाहों के साथ पुलिस राज्य बन सकता है जिनके पास व्यक्तिगत जानकारी उपलब्ध होगी।''

पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि निजता एक मौलिक अधिकार है। इस फैसले का पूरे देश में स्वागत किया गया और जश्न मनाया गया। हालांकि, यहाँ दुख की बात यह है कि उसी अदालत ने आधार के फैसले में एक साल बाद अपने विचार को पूरी तरह से बदल दिया। इसने आधार-पैन लिंकेज को बरकरार रखा और सरकारी योजनाओं और सब्सिडी के लिए अद्वितीय संख्या का उपयोग करने की अनुमति दी। इस प्रकार, जनसंख्या का वह भाग जो न तो कर का भुगतान करता है और न ही किसी सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाता है वह इससे बाहर हो गये। इस फैसले के बाद, शासन का पहिया एक अलग दिशा में लुढ़कते दिख रहा हैं। नियमित रूप से छोटे लेकिन कपटी कार्यकारी आदेशों को पारित करने के अलावा, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने अब नागरिकों की स्वतंत्रता को कम करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।

निजता के अधिकार को नकारना

इसका सबसे अच्छा उदाहरण हाल ही में सामने आया है। इस महीने, गृह मंत्रालय ने 10 केंद्रीय एजेंसियों को एक आदेश दिया, जिसमें दिल्ली पुलिस आयुक्त, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और राजस्व खुफिया निदेशालय शामिल हैं, जो व्यक्तिगत कंप्यूटरों और उनकी प्राप्तियों पर नजर रख सकते हैं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 की 21) की धारा 69 की उप-धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, सूचना प्रौद्योगिकी के नियम 4 (प्रक्रिया और सुरक्षा, अवरोधन, निगरानी और सूचना के डिक्रिप्शन के लिए नियम), 2009 के साथ, इन्हें ये शक्तियां प्राप्त है। इस फैसले को लोगों को उनकी निजता के अधिकार से वंचित करने के लिए एक चरम उपाय के रूप में देखा जा रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली पुलिस, सीबीआई और राजस्व खुफिया निदेशालय जैसी एजेंसियों को पूर्णतः घरेलू सुरक्षा से संबंधित संगठनों के रूप में नहीं कहा जा सकता है। इस निर्देश को जारी करने के पीछे आंतरिक सुरक्षा का हवाला देना कतई स्पष्ट प्रतीत नहीं होता है। यह देखते हुए कि अगले साल लोकसभा चुनाव होना है, कार्यकारी आदेश एक अलग खेल खेलने वाला है।

इस सरकार का एकमात्र आकर्षण डेटा का संग्रह है। यह भारत को पुलिस राज्य में बदलने की सबसे तेज प्रक्रिया होगी। जबकि राजनेता हर पांच साल में बदलते हैं, देश की शासन प्रणाली नौकरशाहों की दया पर छोड़ दी जा रही है। यह उन लोगों का वर्ग है जो 'पुलिस राज्य' के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। यह विशेष रूप से आसान हो जाता है जब लोकतांत्रिक रूप से चुने गए नेता को हर दूसरे निर्वाचित सदस्य के साथ-साथ नागरिकों पर भी संदेह होने लगता है। वहम और अलगाव की इस मानसिकता का फायदा उठाते हुए, सत्ता के लालच के साथ रेखांकित किया गया, जहाँ नौकरशाह सबसे भरोसेमंद और हानिरहित लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि राजनेताओं को पता है कि नौकरशाह सर्वोच्च सिंहासन के लिए आकांक्षा नहीं रखते हैं, इसलिए यह इन्हें गैर-विरोधी बनाता है।

गुप्त सर्विलांस

एमएचए आदेश देता है कि इन 10 एजेंसियों को जो कुछ भी करना है, उसे करने का अधिकार है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि घबराहट पैदा हो गई है। यह भय बड़े पैमाने पर लोकतंत्र के लिए खतरा है। इस तरह की निगरानी प्रणाली को प्रोत्साहित करने से भारत जल्द ही नौकरशाहों के साथ एक पुलिस राज्य के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, जिसमें न्यूनतम स्तर पर प्रत्येक नागरिक की व्यक्तिगत जानकारी उनके पास उपलब्ध होगी।

विपक्ष

लेखक - करनीका सेठ (साइबर लॉ विशेषज्ञ और सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता)

''असाधारण परिस्थितियों में, राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए निजता के अधिकार का हनन किया जा सकता है।''

भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय, न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) ने फैसला सुनाया कि निजता एक मौलिक अधिकार है। लेकिन यह अधिकार बेलगाम या निरपेक्ष नहीं है। केंद्र सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 69 के तहत, जब भी राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय अखंडता के लिए खतरा होता है, तो इस अधिकार और अवरोधन, इंटरनेट ट्रैफिक या इलेक्ट्रॉनिक डेटा को डिक्रिप्ट या मॉनिटर करने पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति होती है। जिसे राज्य की सुरक्षा और अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या सार्वजनिक व्यवस्था और शालीनता के हित में या एक अपराध के कमीशन को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है।

निजता का अधिकार निरपेक्ष नहीं है

केवल इसी तरह की असाधारण परिस्थितियों में, राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार का हनन किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने आईटी, (प्रक्रिया और सुरक्षा के लिए अवरोधन, निगरानी और सूचना के डिक्रिप्शन) नियम, 2009 पारित किया, जो गृह मंत्रालय/गृह विभागों में सचिव को एजेंसियों को इंटरनेट ट्रैफिक/इलेक्ट्रॉनिक डेटा को इंटरसेप्ट, डिक्रिप्ट या मॉनिटर करने के लिए अधिकृत करने की अनुमति देते हैं। आपातकालीन स्थितियों में, ऐसी मंजूरी भारत सरकार में संयुक्त सचिव से नीचे के व्यक्ति को नहीं दी जा सकती है। आज के समय में, जब फर्जी समाचार या फेक न्यूज और डार्क वेब पर साइबर आतंकवाद जैसी गैरकानूनी गतिविधियां बढ़ रही हैं, तो निगरानी का संचालन करने के लिए ऐसी शक्तियों को संग्रहीत करने के महत्त्व को कम नहीं किया जा सकता है।

राज्य के अधिकारियों द्वारा अवरोधन के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कुछ उचित आधार या कुछ ठोस सबूत होने चाहिए। अमेरिका में यह स्थिति है कि ऐसे सबूत या आधार के बिना कोई भी कार्रवाई अदालतों द्वारा निरस्त कर दी जाती है, क्योंकि यह किसी के निजता के अधिकार के विरुद्ध है। इसलिए, निर्धारित प्रक्रिया के ढांचे का पालन करने और इसके कार्यान्वयन की अनुरूपता की आवश्यकता है। कानून द्वारा निर्धारित नैतिक और कानूनी मापदंडों से किसी भी विषयांतर नागरिकों की गोपनीयता पर जानबूझकर आक्रमण करने और भारत को एक निगरानी राज्य बनाने के लिए समान होगा।

नियंत्रण और संतुलन

सरकार को जवाबदेही और जिम्मेदारी बढ़ाने की जरूरत है और इन निगरानी शक्तियों का प्रयोग करने में उचित जांच और संतुलन को बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पारित आदेश आईटी अधिनियम की धारा 69 के तहत अपनी शक्तियों के दायरे में है। हालाँकि, 2011 के मध्यवर्ती नियमों के वर्तमान कार्यान्वयन को तर्क, निष्पक्षता, आनुपातिकता और शक्तियों के विवेकपूर्ण अभ्यास के आधार पर परीक्षण करना बाकी है।

एक अन्य महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि किसी व्यक्ति को यह भी पता नहीं चल सकता है कि उसके इलेक्ट्रॉनिक संचार को बाधित/निगरानी किया जा रहा है या नहीं। अगर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम में गोपनीयता और प्रावधानों को बनाए रखने के दायित्व के कारण ऐसी जानकारी उसके ज्ञान के भीतर आती है, तो वह इस तरह के निगरानी के कारणों को नहीं जान पाएगी। इससे निगरानी प्रावधानों का दुरुपयोग होने का खतरा हो सकता है।

इसलिए, समीक्षा समिति की भूमिका काफी महत्त्वपूर्ण है: समिति इन शक्तियों के अभ्यास में किसी भी मनमानी की जाँच करने में सहायता करेगी। केवल 10 एजेंसियों को इस संबंध में निश्चितता प्रदान करने के लिए अधिकृत एजेंसियों के रूप में घोषित किया गया है।

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ (1996) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने फोन टैपिंग मामलों में निगरानी और अवरोधन के विवेकपूर्ण अभ्यास के लिए नियम निर्धारित किए थे। साइबरस्पेस में भी समान मूलभूत सिद्धांतों को बेहतर रखना चाहिए।

तटस्थ

लेखक - अनीता गुरुमूर्ति (एक एनजीओ के साथ कार्यरत)

''हमें निगरानी के लिए एक नए कानूनी ढांचे की ओर बढ़ने की जरूरत है।''

पिछले एक दशक में, हम कई कानूनी, न्यायिक और कार्यकारी हस्तक्षेपों के गवाह रहे हैं, जिनमें डिजिटल समय में निगरानी के अत्यधिक विवादास्पद मुद्दे शामिल हैं, अर्थात 2008 में आईटी अधिनियम की धारा 69 में संशोधन से लेकर सरकार की अंतरविरोध की शक्तियों का विस्तार, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह सोशल मीडिया के मध्यस्थों के लिए यौन अपमानजनक सामग्री के संबंध में कड़े दिशा-निर्देश तैयार करे।

फेक न्यूज के बढ़ते जाल के मद्देनजर, मध्यवर्ती नियमों, 2011 के संशोधन के सबसे हालिया प्रस्ताव को 'गैरकानूनी' जानकारी के 'जनक' का पता लगाने के लिए आवश्यक ठहराया गया है। भारत सरकार ने दावा किया है कि सोशल मीडिया कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए नई चुनौतियां लेकर आया है, जिसमें आतंकवादियों की सहभागिता के लिए अभियोग, अश्लील सामग्री का प्रसार, विवाद फैलाना और हिंसा भड़काना शामिल है।

राज्य की शक्तियाँ

शासन का नैतिक आतंक निराधार नहीं है। यह आंशिक रूप से इस तथ्य से संबंधित है कि डिजिटल युग में संचार के क्षेत्र को ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय निगमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पिछले कुछ महीनों में, ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहाँ पुलिस अपराधियों का पता लगाने में असमर्थ साबित हुई है क्योंकि बिचौलियों ने सहयोग करने से इनकार कर दिया।

निगरानी का रुझान एक स्पष्ट तनाव की ओर इशारा करते हैं जहाँ संचार गतिविधि का पैमाना और इसकी निजी स्थापत्यकला राज्य एजेंसियों के लिए प्रतिनिधित्व करती है। ऑनलाइन लिंग-आधारित हिंसा के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए, पुलिस को स्पष्ट रूप से सबूतों को व्यवस्थित करना और अपराधी का पता लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिए। हालांकि, जैसा कि आलोचकों ने माना है, मध्यस्थ नियम में प्रस्तावित संशोधन के अत्यधिक व्यापक रूप से कार्यकारिणी पर अनियंत्रित शक्तियां हैं, जो मनमानापन की याद दिलाती हैं जिसके उदाहरण के रूप में हम श्रेया सिंघल (2015) मामले को देख सकते हैं। न्यायिक या विधायी निरीक्षण की अनुपस्थिति में, ऐसी शक्तियां न केवल निजता के व्यक्तिगत मौलिक अधिकार पर असम्मानजनक प्रतिबंध लगाती हैं, बल्कि स्वतंत्रता पर इसके कई दूरगामी परिणाम भी होते हैं जिसमें भाषण और संघ की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक भागीदारी पर एक द्रुतशीतन प्रभाव शामिल है। इसके अलावा, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स सावधानी बरतते हैं कि एक व्यक्ति को लक्षित करने के लिए 'बैक डोर' डिक्रिप्शन बनाना संभव नहीं है और एन्क्रिप्शन के साथ छेड़छाड़ सभी की सुरक्षा से समझौता कर सकती है।

इसलिए, डिजिटल वातावरण को कानून के शासन पर पुनर्विचार की आवश्यकता है, जिसके आधार पर संवैधानिक सिद्धांतों, कानूनी मानदंडों और प्रक्रियात्मक नियमों के बीच तार्किक संबंध एक साथ जुड़ा हुआ है। हमें इस बात पर बहस करने की जरूरत नहीं है कि निगरानी की जानी चाहिए या नहीं, बल्कि हमें इस पर एक नए कानूनी ढांचे का निर्माण करने की आवश्यकता है कि निगरानी कैसे, कब, और किस तरह की जानी चाहिए?

आनुपातिकता का परीक्षण

इस तरह के ढांचे के भीतर सभी उपायों को गोपनीयता निर्णय के अधिकार द्वारा निर्दिष्ट आनुपातिकता का परीक्षण पास करना होगा। उन्हें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि कैसे डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अस्पष्टता, मनमानी और अशुद्धता की समस्याओं में फंसाया जाता है जो नियमों और निगरानी की वर्तमान प्रथाओं की विशेषता है। भारत में सर्वर का पता लगाने के लिए बिचौलियों को अनिवार्य किया जाना चाहिए। राज्य एजेंसियों और निगमों द्वारा नियोजित एल्गोरिदम का निरीक्षण, एक महत्त्वपूर्ण पहलू है। डिजिटल साक्ष्य संग्रह के नियम तकनीकी अनुप्रयोगों के लिए विशिष्ट होने चाहिए। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि कानून प्रवर्तन अधिकारी वारंट प्राप्त करने के बाद ही ऐसी जानकारी के लिए अनुरोध कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें संभावित कारण को स्पष्ट करना होगा।

GS World टीम...

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा-69

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में गृह मंत्रालय अधिसूचना के अनुसार 10 एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर संसाधनों में उत्पन्न, प्रेषित, प्राप्त या संग्रहीत किसी भी जानकारी को अवरुद्ध करने, निगरानी करने और डिक्रिप्ट करने के लिए अधिकृत किया गया है।
- आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 69 के तहत सरकार किसी भी एजेंसी से डेटा की निगरानी करने के लिए कह सकती है।

क्या है?

- इसके मुताबिक अगर केंद्र सरकार को लगता है कि देश की सुरक्षा, अखंडता, दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण रिश्ते बनाये रखने या अपराध रोकने के लिए किसी डेटा की जरूरत है तो वह संबंधित एजेंसी को इसके निर्देश दे सकती है।
- आईटी एक्ट वर्ष 2000 में बना। इसमें यह प्रावधान है कि राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता या संप्रभुता के लिए सरकार चाहे तो किसी भी व्यक्ति या संस्था के कम्प्यूटर की निगरानी कर सकती है।
- हालांकि, निगरानी करने के लिए किन एजेंसियों को अधिकार दिया जाएगा, ये सरकार ही तय करती है। किसी भी कम्प्यूटर या इंटरनेट कम्युनिकेशन की निगरानी करना डेटा इंटरसेप्शन कहलाता है।

क्या सिर्फ कम्प्यूटर की निगरानी होगी?

- आदेश में सरकार ने सिर्फ कम्प्यूटर की निगरानी की बात कही है, लेकिन इसमें लैपटॉप और डेस्कटॉप से लेकर मोबाइल और सारे डिजिटल डिवाइस आ जाते हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि सरकार ने संसद में कम्प्यूटर की परिभाषा बताते हुए कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल या अन्य हाईस्पीड डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस जो लॉजिकल, अर्थमैटिक या मेमोरी संबंधी काम करती है, उसे कम्प्यूटर कहा जाता है।

सरकार हमारा डेटा किन रूपों में हमसे मांग सकती है?

- इस आदेश के अनुसार, सरकार तीन काम कर सकती है। पहला- इंटरसेप्ट या टैप।
- दूसरा- हमारे डेटा की मॉनिटरिंग और तीसरा- हमारे मैसेज या सूचनाओं को डिक्रिप्ट करना।

इस आदेश से निजता किस तरह से खतरे में है?

- हम रोज जितना भी डेटा इस्तेमाल करते हैं, उतना डेटा यह पता लगाने के लिए पर्याप्त है कि आपका व्यवहार, आपकी प्रवृत्ति क्या है, आपकी पसंद-नापसंद क्या है, आप किसके समर्थक और किसके विरोधी हैं? कुल मिलाकर आपके डेटा से प्रोफाइलिंग की जा सकती है।
- दरअसल, छोटे-छोटे इलेक्ट्रॉनिक डेटा को विभिन्न माध्यमों से लेकर एक 'मेटा डेटा' बनाया जा सकता है, जो किसी भी व्यक्ति की प्रोफाइलिंग के लिए पर्याप्त है। इस प्रोफाइलिंग के जरिए, सरकार हर वो चीज कर सकती है, जिसे वो करना चाहती है। यह ठीक उसी तरह होता है, जिस तरह से कैम्ब्रिज एनालिटिका ने लोगों की प्रोफाइलिंग की थी।

विरोध क्यों?

- सरकार का ये आदेश आईटी एक्ट की धारा-69 (1) पर आधारित है, लेकिन अगस्त, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी केस में फैसला देते हुए निजता को मौलिक अधिकार बताया था। सरकार का आदेश न सिर्फ निजता के मौलिक अधिकार पर खतरा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन भी है।
- सरकार का आदेश आईटी एक्ट की धारा-69 (1) का उल्लंघन भी है। क्योंकि यह धारा सरकार को आम जनता की निगरानी के लिए असीमित शक्ति नहीं देती।
- यह सिर्फ जनता के हित या राष्ट्र की संप्रभुता या अखंडता को बनाए रखने के लिए कम्प्यूटर की निगरानी कर सकती है। लेकिन सरकार ने अपने आदेश में कहीं भी साफ नहीं किया है कि वो कम्प्यूटर की निगरानी क्यों और कब करेगी?

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

   1. आईटी अधिनियम, 2000 की धारा-69 के तहत सभी केंद्रीय एजेंसियों को व्यक्तिगत कम्प्यूटरों और उनकी प्राप्तियों पर नजर रखने का अधिकार दिया गया।

   2. अनुच्छेद-21 के तहत 'निजता' को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

   (a) केवल 1 (b) केवल 2

   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: क्या निगरानी पर भारत का कानून (आईटी एक्ट, 2000 की धारा-69) गोपनीयता के लिए खतरा है? इस संदर्भ में पक्ष तथा विपक्ष पर प्रकाश डालते हुए अपने सुझावों को भी स्पष्ट कीजिए।

(250 शब्द)

नोट : 27 दिसम्बर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c) होगा।

GS World
Committed To Excellence